न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-170RAAJodhpur2022-64RTA223 Smt. Sukhee Vs Peetharam etc

श्रीमती सुखी पुत्री पीथाराम एवं पत्नी श्री रामनिवास, जाति जाट, निवासी- सरगियाकला, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. पीथाराम पुत्र श्री बगसुराम
2. प्रहलादराम पुत्र श्री पीथाराम
3. रामेश्वर पुत्र श्री हड़मानराम
4. रामदयाल पुत्र श्री हड़मानराम
5. बेबी पुत्री श्री हड़मानराम
6. मंजु पुत्री श्री हड़मानराम
7. भंवराराम पुत्र श्री पीथाराम
   सभी जातियान् जाट, निवीसगण- गोदावास, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
8. श्रीमती सोहनी पुत्री श्री पीथाराम एवं पत्नी श्री भंवरलाल, जाति जाट, निवासीनी- मकान नंबर 15, खसरा नं. 228 सिजित पैट्रोल पम्प के पीछे बनाड़ रोड जोधपुर।
9. गीता पुत्री श्री पीथाराम एवं पत्नी श्री भागीरथ, निवासी- बुड़किया, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 मई 1999 एवं संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02 नवंबर 1999 सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर राजस्व मूल वाद संख्या 44/1998 प्रहलादराम बनाम पीथाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री रमेश वैष्णव, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री बाबुलाल विश्नोई, अधिवक्ता-रेस्पोडेंट संख्या दो से नौ

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दस

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 18 दिसंबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 44/1998 अनवान प्रहलादराम बनाम पीथाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 मई 1999 एवं संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02 नवंबर 1999 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 25 अप्रैल 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलार्थीनी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या दो, रेस्पोडेंट संख्या तीन से छः के पूर्व पुरूष हडमानराम व रेस्पोडेंट संख्या सात ने अपीलार्थीनी को पक्षकार संयोजित किये बिना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 01 रकबा 63.09 मौजा गोदावास के चक संख्या तीन, खसरा नं. 169 रकबा 21.05 बीघा ग्राम देवातड़ा के संबंध में धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत खातेदारी घोषणा एवं विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया। उक्त वाद जरिये निर्णय एंव डिक्री दिनांक 10 मई 1999 को निर्णित किया गया, जिसमें संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02 नवंबर 1999 को जारी की गई, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीनी एवं अपीलार्थीनी के समांतर पीथाराम की दूसरी पुत्रियों सोहनी व गीता को पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी, जबकि सभी हितबद्ध लोगो को पक्षकार बनाया जाकर सुना जाना आवश्यक है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विचारण न्यायालय को अपीलार्थीनी एवं उसके साथ उनकी बहिनों का हक भी निर्धारण नहीं करने में भारी विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आलौच्य निर्णय एवं डिक्री अपीलार्थीनी को पक्षकार बनाये बिना उसकी पीठ पीछे जारी किये जाने से उसे समय पर जानकारी नहीं हो सकी। हाल ही में दिनांक 12.01.2022 को आने गांव गोदावास में भूमि की विभाजन की बात अपने पिता को कही, तब पिता ने कहा कि तुम्हारा कोई हक व अधिकार नहीं रहा है। हमने पहले ही काम करवा लिया है। तब प्रार्थीनी हल्का पटवारी से सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी चाही तो मालूम चला कि कि न्यायालय का आदेश हो रखा है। तब प्रार्थीनी ने नकल हेतु आवेदन किया तथा नकल प्राप्त कर जानकारी से अंदर म्याद हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। प्रार्थीनी द्वारा जानबूझकर या उद्धेश्य विशेष की प्राप्ति हेतु कोई विलंब नहीं किया है।, उक्त विलंब सद्भावी एवं क्षमा योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलार्थीनी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलांट गुणावगुण पर स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 44/1998 अनवान प्रहलादराम बनाम पीथाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 मई 1999 एवं संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02 नवंबर 1999 अपास्त किये जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट्स अधिवक्ता ने अपीलार्थीया के अधिवक्ता के कथनों पर सहमति जाहिर करते हुए अपीलार्थीनी को सुनरवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु मामला विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर भोपालगढ को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलार्थीया द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रश्न है, अपीलार्थीया रेस्पोडेंट संख्या एक पीथाराम की पुत्री है। विचारण न्यायालय में अपीलार्थीया को पक्षकार संयोजित किये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से अपीलार्थीया को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी समय पर नहीं होना स्वाभाविक है। लिहाजा अपीलार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम में किये गये कथनों पर विश्वास जाहिर करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट गुणावगुण पर निस्तारण हेतु अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख प्रदर्श ईएक्सपी-1 एवं ईएक्सपी-2 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी पूर्व में अपीलार्थीया के पूर्व पुरूष गुमानाराम के नाम दर्ज रहने से अपीलार्थीया की पुश्तैनी भूमि है। वादग्रस्त आराजी पुश्तैनी होने के तथ्य के आधार पर वादीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वाद प्रस्तुत किया गया। वादीगण द्वारा अपनी बहनों को पक्षकार संयोजित किये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। वकील रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलांट के सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वकील रेस्पो. की सहमति के परिप्रेक्ष्य में अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 44/1998 अनवान प्रहलादराम बनाम पीथाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 मई 1999 एवं संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 02 नवंबर 1999 खारिज किये जाकर मामला विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर भोपालगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मामले में अपीलार्थीया सहित सभी हितबद्ध पक्षकारान् को पक्षकार संयोजित करते हुए उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिनुसार पुनः निस्तारण करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 09 जनवरी 2025 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर